कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर
जिला बस्तर छ0ग0

क्रमांक / निविदा क्रय / 2019–20 / 8664 जगदलपुर दिनांक 18-7-19

–: खुली निविदा / रेट कान्टेक्ट सूचना :–

–: खुली निविदा प्रपत्र :–

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में उपयोग हेतु आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण / जेनेरिक औषधियॉ / डिस्पोजेल सामग्रीयो (अस्पताल में उपयोग होने वाले) की आपूर्ति हेतु कार्यालय द्वारा मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

अतः निविदा प्रपत्र प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्तो के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से निम्न निर्धारित समय पर निर्धारित राशि रू. 1000 / – (एक हजार रूपये मात्र) की डी.डी. जमा कर प्राप्त किया जा सकता है । आवश्यक शर्ते बस्तर जिला के वेबसाईट www.bastar.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

1.निविदा / रेट कान्टेक्ट प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि 03.08.2019 समय अपरान्ह 5:00 बजे तक ।
2.मुहर बंद निविदा पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त होने की तिथि 23.08.2019 समय अपरान्ह 3:00 बजे तक ।
3..निविदा / रेट कान्टेक्ट खोलने की तिथि 23.08.2019 समय अपरान्ह 4:00 बजे ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)
Office Phone No- 07782-222281 3664 18-7-19 **E Mail ID –cmhobastar@gmail.com**

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0) की ओर से वर्ष 2019–20 के लिए मशीनरी/उपकरण/डिस्पोसेबल सामग्री के क्रय हेतु निर्माता कम्पनी प्रतिष्ठित फर्म द्वारा मोहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है । जो अगस्त 2020 तक मान्य रहेगी ।

निविदा की शर्तें :–

1 निर्माता कंपनी अथवा उनके द्वारा अधिकृत विक्रेता एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा निविदा भरे जा सकेंगे। तत्संबंधी प्रमाण पत्र निविदादाता को प्रस्तुत करना होगा।

2 निविदादाता को पेन नम्बर/जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र/ बिक्री कर पंजीयन प्रमाण पत्र (मूल प्रति की छाया प्रति) निविदा के साथ जमा करना होगा। अंतिम तीन माह मई/2019 तक जी.एस.टी. टैक्स चुकता प्रमाण पत्र के साथ दस्तावेज संलग्न करना होगा। क्रय समिति आपके द्वारा छायाप्रति के रूप में जमा किये गये दस्तावेजों का मूलप्रति से मिलान करने का अधिकारी सुरक्षित रखता है। जिन्हें मांगे जाने पर आपके द्वारा मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

3 मशीनरी/उपकरण/सामग्री की गुणवत्ता निम्न स्तर पाये जाने पर अमानत राशि राजसात कर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

4 अंकित दर कार्यालय के मुख्य भण्डार में प्रदाय करने का होना चाहिए। आपके द्वारा देयकर का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।

5 प्रत्येक निविदादाता को अमानत राशि के रूप में 50,000.00 पच्चास हजार रूपये का डिमांड ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर के नाम से बनाकर संलग्न करना होगा। जिसे असफल निविदादाता को वापस कर दिया जावेगा एवं सफल निविदादाता की अमानत राशि निविदा समाप्ति तक जमा रखी जावेगी। जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

6 मशीनरी/उपकरण/सामग्री आदेश प्राप्त होने के 30 दिवस में प्रदाय करना होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। जिसे अन्य प्रदायकर्ता से मंगाने पर यदि अतिरिक्त व्यय आता है तो उसकी वसूली स्वीकृत निविदादाता से की जावेगी।

7 निविदा की दरें दर अनुमोदन से एक वर्ष के लिए तक के लिए मान्य होगी। क्रय समिति के निर्णय अनुसार निविदा अवधि को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

8 क्रय समिति के निर्णयानुसार आपात स्थिति में न्यूनतम अनुमोदित दर पर किसी भी फर्म से मशीनरी/उपकरण/सामग्री क्रय किया जा सकता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकार सुरक्षित रखता है।

9 बिना कारण बताये किसी भी अथवा समस्त निविदायें निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता सुरक्षित रखता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

10 निविदा स्पष्ट अंकित मान्य किया जावेगा।

11 निविदा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए। डाक विलंब के लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

12 आवश्यकता होने पर भण्डार क्रय नियमानुसार क्रय किये जाने वाली सामग्री का नमूना स्वयं के व्यय पर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, मशीनरी/उपकरण/सामग्री मापदण्ड व समयावधि के अन्तर्गत प्राप्त न होने की दशा में प्राप्त सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्ता को स्वयं के व्यय पर सामग्री वापस ले जाना होगा।

13 निर्माण इकाई के निरीक्षण का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

14 क्रय शासन से प्राप्त नीति निर्देशानुसार एवं उपलब्ध आबंटन के अनुसार ही किया जावेगा।

15 मशीनरी/उपकरण/सामग्री गुणवत्ता के आधार पर क्रय की जावेगी। न्यूनतम दर एवं निविदा की बाध्यता स्वीकार नहीं होगी।

16 मशीनरी/उपकरण/सामग्री आई.एस.आई. एवं आई.एस.ओ.मार्का/उच्च गुणवत्ता का प्रदाय करना होगा।

17 सूची में वस्तुओं के समक्ष मांगे गये केटलॉग को क्रम अनुसार संलग्न करना आवश्यक है। केटलॉग में कंपनी का नाम एवं स्पेशेसिफिकेशन संलग्न न होने पर उक्त दर को तुलनात्मक पत्रक में शामिल नहीं किया जावेगा एवं यदि क्रय समिति निर्णय ले तो केटलॉग अनुसार वस्तुओं को निरीक्षण हेतु निश्चित अवधि में उपलब्ध करवाना होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

18 जमा किये गये नमूनों का पूर्ण उत्तरदायी जमाकर्ता निविदादाता की होगी। कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का व्यय एवं भुगतान नहीं किया जावेगा। नमूना स्वीकार होने पर कार्यालय के भण्डार गृह में सामग्री के मिलान हेतु सुरक्षित रखा जावेगा। एवं नमूना अस्वीकार होने पर कार्यालय द्वारा निविदादाता को सूचित करने के सात दिन के अन्दर अपना नमूना वापस ले जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा कार्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

19 निविदाकार लिफाफा "अ" में अन्य दस्तावेजों एवं प्रतिभूति राशि तथा लिफाफा "ब" में मूल्य सूची को डालकर सील बंद कर तीसरा लिफाफा "स" में दोनों "अ" एवं "ब" को सील बंद कर प्रस्तुत करेंगें। लिफाफा के ऊपर निविदा मशीनरी/उपकरण/सामग्री वर्ष 2019–20 लिखा होना चाहिए। पहले अमानत राशि एवं प्रमाण पत्र संबंधी लिफाफा खोला जावेगा। यदि क्रय समिति उससे संतुष्ट होगी तभी मूल्य सूची वाला दूसरा लिफाफा खोला जावेगा। निविदा क्रय समिति द्वारा भौतिक दस्तावेज में कमी पाई जाती है तो निविदा निरस्त कर दिया जावेगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकार सुरक्षित रखता है।

20 निविदाकार को निविदा फार्म, सेल्स टैक्स पंजीयन की मूलप्रति का अवलोकन उपरान्त ही प्रदाय किया जावेगा।

21 समस्त न्यायालयीन प्रकरण जगदलपुर जिला न्यायालय के अन्तर्गत होगा।

22 कार्यालय द्वारा प्रदत्त निविदा की नियम एवं शर्ते वाला प्रति हस्ताक्षर एवं सील सहित निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

23 निविदा खोलने के समय उपस्थित निविदादाता या उनके प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय कक्ष में ही उपस्थित रहेंगे। यदि प्रक्रिया पूर्ण होने के बीच में ही कक्ष छोड़ते हैं तो उन्हें दोबारा प्रवेश नहीं दिया जावेगा जिसकी पूरी जवाबदारी निविदादाता की होगी।

24 निविदा खोलने के समय मोबाईल फोन का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

25 यदि निविदादाता द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जावेगा तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता अथवा क्रय समिति आवश्यकतानुसार स्वतंत्र कार्यवाही हेतु सक्षम रहेंगे।

26 निविदादाता द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उल्लंघन संबंधी कार्य, कार्यवाही पंजी में लिया जावेगा तथा संबंधित फर्म का निविदा भी निरस्त कर दिया जावेगा। पूर्व कार्यवाही का विवरण स्टोर प्रभारी अथवा लिपिक द्वारा संधारण किया जावेगा।

27 निविदा प्रपत्र एवं मशीनरी/उपकरण/सामग्री की सूची इस कार्यलय से दिनांक 03.08.2019 अपरान्ह समय 5:00 बजे तक रूपये **1000=00 का** डिमांड ड्राफ्ट मात्र जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र की राशि वापस नहीं होगी।

28 निविदा प्रपत्र एवं मशीनरी/उपकरण/सामग्री की सूची इस कार्यलय से जो प्राप्त करेगें सूची के सरल क्रमांक में किसी प्रकार का कॉट–छॉट कर दर अंकित फर्मे के द्वारा नहीं किया जायेगा ऐसा करने पर निविदा निरस्त की जायेगी इसके लिए किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नही किया जायेगा।

उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार है।

हस्ताक्षर एवं सील निविदादाता

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जगदलपुर जिला– बस्तर (छ.ग.)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जगदलपुर, जिला बस्तर छ0ग0

क्रमांक/निविदा क्रय/2019–20/ 3664-2 जगदलपुर दिनांक 18/7/19

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0) की ओर से वर्ष 2019–20 के लिए औषधियों के क्रय हेतु निर्माता कम्पनी प्रतिष्ठित फर्म द्वारा मोहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है । जो अगस्त 2020 तक मान्य रहेगी ।

निविदा की शर्तेः–

01. निर्माता कम्पनी अथवा प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा निविदा भरे जा सकते है ।
02. निविदा स्पष्ट टंकित ही मान्य किए जायेंगें ।
03. निविदादाता को निविदा के साथ अपनी कम्पनी का चालू बिक्री कर, वाणिज्य कर, आयकर, चुकता प्रमाण पत्र एवं ड्रग लाईसेंस जिसका पंजीयन जीवित हो निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है। इस संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
04. अंकित दर एफ0ओ0आर0 जगदलपुर में प्रदाय करने का होना चाहिए। किसी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा अथवा व्यय मान्य नहीं होगा।
05. निविदा दर में सभी प्रकार के कर सम्मिलित रहेंगें (सेल्स टैक्स एवं आयकर इत्यादि) दर के अतिरिक्त किसी प्रकार का कर अदा नहीं किया जाएगा तथा साथ के पंजीकृत निविदाकारों की निविदा दर में वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्धारित मान्य किया जावेगा।
06. निविदाकार को ISO/GMP/ISI प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है निविदाकार द्वारा उक्त प्रमाण पत्र न देने पर निविदा अमान्य कर दिया जाएगा ।
07. प्रदाय औषधि के देयक का सत्यापन औषधि प्रयोगशाला जॉच जो शासन द्वारा मान्य है उनसे जॉच प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जावेगा । जिसका चार्ज व्यय संबंधित देयक से हाटकर भुगतान किया जाएगा। जॉच प्रमाण पत्र सही नहीं आने की स्थिति में प्रदाय कम्पनी द्वारा जॉच व्यय जमा करने के उपरान्त औषधि प्रदारयकर्ता के व्यय पर वापिस कर दिया जाएगा ।
08. प्रदाय आदेश दिनांक से कम से कम 30 दिन के अन्दर औषधि प्रदाय करना अनिवार्य होगा। समय सीमा में प्रदाय न करने की स्थिति में आदेश निरस्त कर, अन्य अधिक्रित कम्पनी से समिति की अनुमति से औषधि का क्रय किया जाएगा एवं प्रदाय न कर पाने वाली कम्पनी द्वारा जमा की गई राशि नियमानुसार राजसात की जाएगी ।
09. प्रत्येक निविदादाता को अमानत राशि रूपए 50 हजार (पचास हजार रूपए) राष्ट्रीकृत बैंक का मियादी जमा/बैंक ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर के नाम से जमा करना होगा असफल निविदादाता को वापस कर दिया जावेगा एवं सफल निविदादाता की अमानत राशि निविदा समाप्ति तिथि तक जमा रखा जावेगा । जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।
10. क्रय समिति के निर्णयानुसार आपात या आकस्मिक स्थिति में न्यूनतम दर पर दवाईयों का क्रय किसी भी फर्म से किया जा सकता है एवं इस संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेंगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकार सुरक्षित रखता है।
11. क्रय वर्ष 2019–20 के लिए समय पर विभाग से प्राप्त आबंटन के अन्तर्गत ही किया जावेगा ।
12. निविदा दर दिनांक 31.08.2020 तक मान्य होगी तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अवधि घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है ।
13. निविदा संलग्न सूची के सरल क्रमांक के अनुसार ही होना चाहिए ।
14. निविदाकार को एक जॉच सूची भी संलग्न करना होगा जिसमें यह उल्लेख हो कि कौन–कौन से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जा रहे है ।

15. निविदाकार लिफाफा (अ) में दस्तावेज एवं प्रतिभूवि राशि से संबंधित एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट लिफाफा (ब) में सील बंदकर तीसरा लिफाफा (स) में दोनों **अ** एवं **ब** को डालकर सील बंदकर प्रस्तुत करना होगा ।
16. समस्त न्यायालयीन प्रकरण जगदलपुर के अन्तर्गत होगा ।
17. उक्त निविदा खोलने के समय जिला वाले छ.ग. निविदादाता या उनके प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय कक्ष में उपस्थित हो सकते है। उक्त समय पर किसी प्रकारका मोबाइल का उपयोग पर प्रतिबंध होगा
18. बिना कारण बताये किसी भी अथवा समस्त निविदायें निरस्त करने का अपना अधिकार अधोहस्ताक्षर सुरक्षित रखता है ।
19. निविदा दिनांक 23.08.2019 समय 3:00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, डाक प्राप्ति के विलम्ब के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
20. निविदा दिनांक 23.08.2018 को संध्या 4:00 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर के कार्यालय में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी ।
    निविदा खुलने की तिथि में कार्य की व्यवस्था के कारण परिवर्तन हो सकता किया जा सकता है ।
21 निविदा प्रपत्र 1000/–रू (हजार रूपये मात्र) जमा कर कार्यालय से दिनांक 03.08.2019 तक कार्यालयीन समय पर नियत तिथि तक प्राप्त कर सकते है।
22 समय समय पर e.d.l की सुची में राज्य स्तर से परिर्वतन होते है ऐसे (सुची) औषधियों भी इस निविदा के लिए भी मान्य होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)